"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2017—आषाढ़ 23, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2017

क्रमांक एफ 2-4/2017/1-8.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री के. सी. यादव (भा.व.से.-1984), संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), निमोरा, रायपुर की सेवाएं वन विभाग को वापिस करता है.

2. श्री पी.सी. मिश्रा (भा.व.से.-1985), आयुक्त, नरेगा, छत्तीसगढ़, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), निमोरा, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. (बिहार-2001), संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. (2004), मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् विशेष सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

3. श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2004), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के पद पर पदस्थ करते हुए नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2004), द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सुनील कुमार जैन, (भा.प्र.से.-2009), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

4. श्रीमती रानू साहू, भा.प्र.से. (2010), अपर कलेक्टर, सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्रमांक ई-1-06/2017/एक-2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 26-3-2017-इओ (एमएम-I) दिनांक 29-06-2017 द्वारा श्री अमित कटारिया, भाप्रसे (सीजी:2004), को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत् केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की अवधि के लिये उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली के पद पर नियुक्ति की सूचना प्राप्त हुई है.

2. राज्य शासन द्वारा श्री अमित कटारिया, भाप्रसे (सीजी:2004), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की सेवाऐं, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है एवं श्री कटारिया को नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान दायित्वों से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

क्रमांक 901/LV-43-22-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री जी.आर. मालवीय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को दिनांक 14-04-2017 से 07-05-2017 तक 24 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मालवीय, आगामी आदेश तक में उप सचिव के पद पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2017

क्रमांक 913/LV-32-53-2017-Apr./1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 22-05-2017 से 03-06-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2017

क्रमांक 921/LV-1-393-2017-Apr./1-8/स्था.—श्रीमती मेरी खेस्स, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-5), को दिनांक 15-05-2017 से 19-05-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती मेरी खेस्स, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-5) के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती मेरी खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मेरी खेस्स अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2017

क्रमांक 929/LV-24-34-2017/May/1-8/स्था.—श्री फरदी केरकेट्टा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग, को दिनांक 22-05-2017 से 31-05-2017 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री फरदी केरकेट्टा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, जनसंपर्क विभाग, के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री फरदी केरकेट्टा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फरदी केरकेट्टा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2017

क्रमांक 931/LV-55-34-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का दिनांक 01-05-2017 से 03-06-2017 तक 34 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय, आगामी आदेश तक अवर सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2017

क्रमांक 935/LV-43-19-2017-Apr./1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का दिनांक 11-05-2017 से 31-05-2017 तक 21 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक 995/LV-25-43-2017-May/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, को दिनांक 26-05-2017 से 08-06-2017 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती एमरेंसिया खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती खेस्स अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक 1015/LV-4-151-2017-May/1-8/स्था.—श्री राजशेखर शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, को दिनांक 22-05-2017 से 31-05-2017 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजशेखर शर्मा, आगामी आदेश तक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजशेखर शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजशेखर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्रमांक 1035/LV-2-61-2017-March/1-8/स्था.—श्री एन.डी. कुंदानी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग का दिनांक 22-05-2017 से 27-05-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. कुंदानी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एन. डी. कुंदानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. डी. कुंदानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्रमांक 1037/LV-13-17-2017-March/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार चौधरी, स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, ऊर्जा विभाग को दिनांक 22-05-2017 से 27-05-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार चौधरी आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, ऊर्जा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजय कुमार चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जून 2017

क्रमांक एफ 1-1/2013/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हेरमन टोप्पो, कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक को अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100/- + ग्रेड वेतन 7600/- में पदोन्नत करता है. श्री हेरमन टोप्पो, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ (विभागाध्यक्ष) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 (पार्ट-3).—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-12-2016 से श्री अनूप कुमार गर्ग, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी में पदेन डायरेक्टर नियुक्त किया गया था, जो दिनांक 30 जून, 2017 को सेवाकाल की समाप्ति पर उक्त पद से कार्यमुक्त हो रहे हैं.

2. अत: डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी के उक्त रिक्त पद पर राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अंकित आनंद (भा.प्र.से.) प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी का अतिरिक्त प्रभार अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1 (पार्ट-3).—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-12-2016 द्वारा श्री अनूप कुमार गर्ग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी नियुक्त किया गया था, जो दिनांक 30 जून, 2017 को सेवाकाल की समाप्ति पर उक्त पद से कार्यमुक्त हो रहे हैं.

2. अत: प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी के उक्त रिक्त पद राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अंकित आनंद (भा.प्र.से.) प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी का अतिरिक्त प्रभार अस्थाई तौर पर आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2017

क्रमांक एफ 1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्रीमती बी.व्ही. उमादेवी (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण/मूल्यांकन) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर एवं अतिरिक्त प्रभार संचालक तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण, छ.ग. रायपुर.
2.	श्री एस. एस. बजाज (1988)	अध्यक्ष, छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर एवं अतिरिक्त प्रभार संचालक तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण, छ.ग. रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग., रायपुर.

श्री एस. एस. बजाज, भा.व.से. (1988) के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री मुदित कुमार सिंह, भा.व.से. (1984) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर केवल भू-प्रबंध शाखा, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-16/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र जिला सरगुजा का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

रघुनाथपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सुमेरपुर उर्फ चेन्द्रा एवं बटवाही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बटवाही, सायरराई एवं लमगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम लमगांव, सायरराई, रघुनाथपुर, दर्रीडीह एवं सुमेरपुर उर्फ चेन्द्रा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम सुमेरपुर उर्फ चेन्द्रा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	त्रिभौना प.ह.नं. 12	1.277	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के तेलपाली वितरक नहर के अंतर्गत त्रिभौना माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक/3128/01 अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मक्के प.ह.नं. 11	2.179	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कवर्धा.	मक्के से सेमो पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक/3130/02 अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सेमो प.ह.नं. 05	1.161	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कवर्धा.	मक्के से सेमो पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/1827.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/1347 रायपुर दिनांक 27-05-2013 द्वारा श्री आर.आर. ठाकुर अपर कलेक्टर (संविदा) जगदलपुर को, कृषि उपज मण्डी समिति जगदलपुर जिला-बस्तर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बस्तर के ज्ञापन क्रमांक/01/एक-01/ज्येलि-2/2017 दिनांक 22-05-2017 द्वारा श्री हीरालाल नायक अपर कलेक्टर जिला-जगदलपुर को कृषि उपज मंडी समिति जगदलपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर.आर. ठाकुर, अपर कलेक्टर (संविदा) जगदलपुर की संविदा नियुक्ति समाप्त होने के कारण उनके स्थान पर श्री हीरालाल नायक अपर कलेक्टर जिला-जगदलपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जगदलपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/1905.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2515-2516 रायपुर दिनांक 08-07-2016 द्वारा श्री ए. के. लकड़ा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला, जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी जिला-जांजगीर-चांपा भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा ज्ञापन क्रमांक 9072/स्थापना/2017 जांजगीर दिनांक 06-06-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री इन्द्रजीत बर्मन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. के. लकड़ा अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के स्थान पर श्री इन्द्रजीत बर्मन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2017-18/1907.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/8021-8022 रायपुर दिनांक 24-03-2017 द्वारा श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 4973/वित्त-1/न.क्र. 166/2017/धमतरी दिनांक 03-06-2017 द्वारा कु. योगिता देवांगन, डिप्टी कलेक्टर जिला-धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर जिला-धमतरी के स्थान पर कु. योगिता देवांगन, डिप्टी कलेक्टर जिला-धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक/3894/न.ग्रा.नि./वि.यो.-देवकर.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में देवकर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र में दिनांक 04-11-2016 को प्रकाशित किया गया.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट देवकर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयेाग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार अनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

देवकर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खुरूसबोड़, बासीन, अकलवारा एवं राखी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम राखी एवं पचेड़ी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम पचेड़ी, डेहरी, नौकेशा एवं देवकर की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम देवकर, जामगांव एवं खुरूसबोड़ की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक हेतु निरीक्षण कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर अवलोकन के लिये उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग (छ.ग.).

No. 3894/T&CP/D.P.-Devkar.—The existing land use map & register for the Devkar Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) which has been published in C.G. Gazette on date 04-11-2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that the existing land use map & register of Devkar Planning Area, Existing land use map & Register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above map & register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of the Devkar Planning Area

NORTH : Village Khurusboad, Basin, Akalwara and Rakhi upto north boundary.
EAST : Village Rakhi and Bachedi upto east boundary.
SOUTH : Village Bachedi, Dehri, Noukasha and Devkar upto south boundary.
WEST : Village Devkar, Jamgaon and Khurusboad upto west boundary.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Regional office, Durg C.G.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 22 मार्च 2017

क्रमांक 2750/तीन-10-8/2000 (VII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-8013/तीन-10-8/2000 (VII), दिनांक 06-10-2015 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना पृ. क्रमांक 2757/158/XXI-B/2017 दिनांक 21 मार्च, 2017 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 01-04-2017 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद	2	1. बालोद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. भटगांव	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
						4. सिमगा	1
3.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	2	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
6.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	3	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
8.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
				2. पाटन	1		
				3. भिलाई-3	1		
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
10.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
12.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1
13.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
14.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
15.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
		2. सरायपाली	1	2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
16.	रायगढ़	1. रायगढ़	5	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
17.	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
		3. डोंगरगढ़	1	3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
19.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
20.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	3	1. अंबिकापुर	5
		2. रामानुजगंज	2	2. रामानुजगंज	2	2. वाड्रफनगर	1
						3. सीतापुर	1
						4. बलरामपुर	1
						5. राजपुर	1
21.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1
		योग	**86**		**87**		**123**

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 2750/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 8013/III-10-8/2000 (VII), dated 06-10-2015, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification endt. No. 2757/158/XXI-B/2017 dated 21-03-2017 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 01-04-17 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
4.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Mungeli	1	2. Mungeli	2	2. Mungeli	1
		3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1	3. Pendra-Road	1
				4. Bilha	1	4. Kota	1
						5. Lormi	1
						6. Marwahi	1
						7. Takhatpur	1
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	3	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
7.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
8.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	3	1. Durg	12
				2. Patan	1		
				3. Bhilai-3	1		
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
10.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
12.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1 Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
				2 Narayanpur	1	2. Keshkal	1
13.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
14.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
15.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
		2. Saraipali	1	2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
16.	Raigarh	1. Raigarh	5	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband	10 1	1. Raipur 2. Gariyaband	6 2	1. Raipur 2. Gariyaband 3. Rajim 4. Tilda 5. Devbhog	16 1 1 1 1
18.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh	2 1 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh-chowki. 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 1 1 1	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh 4. Chhuikhadan	3 1 1 1
19.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur	3 1	1. Surajpur 2. Pratappur	3 1	1. Surajpur	2
20.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Ramanujganj	6 2	1. Ambikapur 2. Ramanujganj	3 2	1. Ambikapur 2. Wadrafnagar 3. Sitapur 4. Balrampur 5. Rajpur	5 1 1 1 1
21.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur	1 1	1. Kanker 2. Bhanupratappur	2 1	1. Kanker 2. Pakhanjur	1 1
		Total	**86**		**87**		**123**

Note :— 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

Bilaspur, the 12th April 2017

No. 765/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, trasferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Netam, XV Civil Judge Class-II.	Raipur	Rajim	Raipur	Civil Judge Class-II
2.	Shri Dilli Singh Baghel, I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Navagarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
3.	Smt. Kanchan Lata Achala, VI Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Raipur	Tilda	Raipur	Civil Judge Class-II
4.	Ku. Mrinalini Katulkar, I Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Mungeli	Mungeli	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Shri Girish Pal Singh, II Civil Judge Class-II.	Raigarh	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-II
6.	Shri Ramesh Kumar Chauhan, Civil Judge Class-II.	Korba	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-II
7.	Ku. Deepa Suchita Tirkey, VI Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Takhatpur	Bilaspur	Civil Judge Class-II
8.	Ku. Suman Dhruv, II Civil Judge Class-II.	Bemetara	Chhuikhadan	Rajnandgaon	Civil Judge Class-II

बिलासपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्रमांक 78/दो-3-6/2006.—श्री रमेश कुमार राठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर दिनांक 31-03-2017 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2017

क्रमांक 4396/तीन-10-8/2000 (VI).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-7557/तीन-10-8/2000 (VI), दिनांक 21 अक्टूबर 2013 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना पृ. क्रमांक 4299/1280/21-बी/2017 दिनांक 05 मई, 2017 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश, का न्यायालय दिनांक 25 जून 2017 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला न्यायाधीश का न्यायालय (2)	बैठने का स्थान (3)
1.	बालौद	बालौद
2.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार
3.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर
4.	बेमेतरा	बेमेतरा
5.	बिलासपुर	बिलासपुर
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
7.	धमतरी	धमतरी
8.	दुर्ग	दुर्ग
9.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर
10.	जशपुर	जशपुर
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा
12.	कोण्डागांव	कोण्डागांव

(1)	(2)	(3)
13.	कोरबा	कोरबा
14.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	बैकुंठपुर
15.	महासमुंद	महासमुंद
16.	मुंगेली	मुंगेली
17.	रायगढ़	रायगढ़
18.	रायपुर	रायपुर
19.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
20.	सूरजपुर	सूरजपुर
21.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर
22.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	कांकेर

No. 4396/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 7557/ III-10-8/2000 (VI), dated 21 October 2013, the High Court hereby directs that the Courts of District Judges as established by the Law Department Notification No. 4299/1280/XXI-B/2017 dated 05 May 2017 for the Civil District of Chhattisgarh shall sit with effect from the 25th June 2017 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of District Judge (2)	Places of Sitting (3)
1.	Balod	Balod
2.	Balodabazar	Balodabazar
3.	Bastar (Jagdalpur)	Jagdalpur
4.	Bemetara	Bemetara
5.	Bilaspur	Bilaspur
6.	Dakshin Bastar Dantewara	Dantewara
7.	Dhamtari	Dhamtari
8.	Durg	Durg
9.	Janjgir-Chamapa	Junjgir
10.	Jashpur	Jashpur
11.	Kabeerdham (Kawardha)	Kawardha
12.	Kondagaon	Kondagaon
13.	Korba	Korba
14.	Koriya (Baikunthpur)	Baikunthpur
15.	Mahasamund	Mahasamund
16.	Mungeli	Mungeli
17.	Raigarh	Raigarh
18.	Raipur	Raipur
19.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
20.	Surajpur	Surajpur
21.	Surgija (Ambikapur)	Ambikapur
22.	Uttar Bastar (Kanker)	Kanker

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2017

क्रमांक 4397/तीन-10-8/2000 (VII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-2750/तीन-10-8/2000 (VII), दिनांक 22-03-2017 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना पृ. क्रमांक 4295/1280/XXI-B/2017 दिनांक 05 मार्च, 2017 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 25-06-2017 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद	2	1. बालोद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. भटगांव	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
						4. सिमगा	1
3.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. पेण्ड्रारोड	1	2. पेण्ड्रारोड	1	2. पेण्ड्रारोड	1
				3. बिल्हा	1	3. कोटा	1
						4. मरवाही	1
						5. तखतपुर	1
6.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	3	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
7.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
8.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
				2. पाटन	1		
				3. भिलाई-3	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	जांजगीर–चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
10.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
12.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1
13.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
14.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
15.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
		2. सरायपाली	1	2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
16.	मुंगेली	1. मुंगेली	1	1. मुंगेली	2	1. मुंगेली	1
						2. लोरमी	1
17.	रायगढ़	1. रायगढ़	5	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
18.	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1
19.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
		3. डोंगरगढ़	1	3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
21.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	3	1. अंबिकापुर	5
		2. रामानुजगंज	2	2. रामानुजगंज	2	2. वाड्रफनगर	1
						3. सीतापुर	1
						4. बलरामपुर	1
						5. राजपुर	1
22.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1
		योग	**86**		**87**		**123**

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 4397/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 2750/III-10-8/2000 (VII), dated 22-03-2017, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification endt. No. 4295/1280/XXI-B/2017 dated 05-05-2017 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 25-06-2017 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
4.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1
5.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Pendra-Road	1	2. Pendra-Road	1	2. Pendra-Road	1
				3. Bilha	1	3. Kota	1
						4. Marwahi	1
						5. Takhatpur	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	3	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
7.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
8.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	3	1. Durg	12
				2. Patan	1		
				3. Bhilai-3	1		
9.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
10.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
12.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1 Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
				2 Narayanpur	1	2. Keshkal	1
13.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
14.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
15.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
		2. Saraipali	1	2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
16.	Mungeli	1. Mungeli	1	1. Mungeli	2	1. Mungeli	1
						2. Lormi	1
17.	Raigarh	1. Raigarh	5	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1
18.	Raipur	1. Raipur	10	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Gariyaband	1	2. Gariyaband	2	2. Gariyaband	1
						3. Rajim	1
						4. Tilda	1
						5. Devbhog	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh	2 1 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh-chowki. 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 1 1 1	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh 4. Chhuikhadan	3 1 1 1
20.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur	3 1	1. Surajpur 2. Pratappur	3 1	1. Surajpur	2
21.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Ramanujganj	6 2	1. Ambikapur 2. Ramanujganj	3 2	1. Ambikapur 2. Wadrafnagar 3. Sitapur 4. Balrampur 5. Rajpur	5 1 1 1 1
22.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur	1 1	1. Kanker 2. Bhanupratappur	2 1	1. Kanker 2. Pakhanjur	1 1
		Total	**86**		**87**		**123**

Note :— 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

बिलासपुर, दिनांक 10 मई 2017

क्रमांक 4398/तीन-10-8/2000 (VII).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-8100/तीन-10-8/2000 (VII) दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि दिनांक 25 जून 2017 से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय, साधारणत: उक्त सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1.	बालोद	1. बालोद
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा
3.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर
4.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
5.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्ड्रारोड
6.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
7.	धमतरी	1. धमतरी
8.	दुर्ग	1. दुर्ग
9.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. सक्ती

(1)	(2)	(3)
10.	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
12.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव
13.	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा
14.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. बैकुंठपुर 2. मनेन्द्रगढ़
15.	महासमुंद	1. महासमुंद 2. सरायपाली
16.	मुंगेली	1. मुंगेली
17.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़
18.	रायपुर	1. रायपुर 2. गरियाबंद
19.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़
20.	सूरजपुर	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर
21.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अंबिकापुर 2. रामानुजगंज
22.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर

No. 4398/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminial Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. 8100/III-10-8/2000 (VII), dated 12-11-2014, the High Court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect form the 25th June 2017 ordinarily the Court of Sessions specified in Column No. (2) of the table below, shall hold its sitting at the place or places, specified against it in Column No. (3) :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
1.	Balod	1. Balod
2.	Balodabazar	1. Balodabazar 2. Bhatapara

(1)	(2)	(3)
3.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur
4.	Bemetara	1. Bemetara
5.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Pendraroad
6.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
7.	Dhamtari	1. Dhamtari
8.	Durg	1. Durg
9.	Janjgir-Chamapa	1. Junjgir 2. Sakti
10.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri
11.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha
12.	Kondagaon	1. Kondagaon
13.	Korba	1. Korba 2. Katghora
14.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh
15.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali
16.	Mungeli	1. Mungeli
17.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh
18.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband
19.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh
20.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur
21.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Ramanujganj
22.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.